न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2019RAAJu225RTA ChhanwariDevi Vs BadriNarayan

छंवरी पुत्री बद्रीनारायण पत्नी करपाराम गहलोत, (माली)
निवासीनी-चुतरावता बेरा, मण्डोर, जोधपुर।

----- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. बद्रीनारायण पुत्र जयराम
2. ज्ञानसिंह पुत्र बद्रीनारायण
3. कौशल्या पत्नी सोहनसिंह
4. वन्दना पुत्री सोहनसिंह
5. मनीश पुत्र सोहनसिंह
6. सुरेश पुत्र सोहनसिंह
   जातियान-माली निवासीगण -चुतरावता बेरा, पूंजला, तहसील व जिला जोधपुर।
7. भूमिधारी जरिये तहसीलदार जोधपुर।

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर दिनांक 2 जनवरी 2019 राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 34/2018 छंवरीदेवी व अन्य बनाम बद्रीनारायण इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री वावुलाल विश्नोई, अधिवक्ता अपीलाण्ट्स
श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता रेस्पो. 1 से 6
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 7

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 11 नव., 2019

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर जोधपुर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 34/2018 छंवरीदेवी बनाम वद्रीनारायण व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02 जनवरी 2019 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत आलौच्य अपील दिनांक 28 जनवरी 2019 को प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थिनी-अपीलाण्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत प्रार्थनापत्र पेश कर प्रार्थिनी-अपीलाण्ट एवं अप्रार्थीगण-रेस्पो. स्व. हरजीराम के वंशज होना, उनकी पैतृक आराजियात खसरा नम्बरान 127, 134, 138, 143 व 144 वाके मौजा पूंजला में होना तथा अन्य सहखातेदारान के साथ मौजा पूंजला में ही खसरा संख्या 193, 194, 195, 197, 198, 199/2, 202, 203, 203/1, 203/2, 263, 264 व 326 स्थित होना जाहिर करते हुए कथन कियां कि वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थिनी-अपीलाण्ट का ¼ हक-हिस्सा एवं कब्जा है, मगर अप्रार्थीगण विना विधिवत बंटवारा कराये वादग्रस्त आराजियात में से भू-भाग विशेष का बेचान करने पर आमदा है, इस कारण विधिवत नियमित वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान कांश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर दिया है जिसमें सफलता मिलने का पूर्ण विश्वास है। मगर वाद के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निस्तारण में समय लगेगा, तब तक स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 09 जुलाई 2018 को उक्त प्रार्थनापत्र दर्ज किया जाकर अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया गया एवं आईन्दा पेशी 09 अगस्त 2018 मुकर्रर की गयी। इसके बाद रबर-स्टाम्प से बिना पीठासीन अधिकारी अथवा अन्य किसी प्राधिकृत हस्ताक्षर के पेशी-दर-पेशी 09 अगस्त 2018, 5 अक्तूबर 2018, 25 अक्तूबर 2018, 29 अक्तूबर 2018, 18 दिसम्बर 2018 व 11 फरवरी 2019 की तारीख-पेशी दी गयी। दिनांक 20 दिसम्बर 2018 की आदेशिका अनुसार अधिवक्ता-अप्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र पेश कर जाहिर किया कि मूल वाद में तारीख-पेशी 20 दिसम्बर 2018 मुकर्रर है, जबकि स्थगन प्रार्थनापत्र में 11 फरवरी 2019 मुकर्रर कर दी गयी, दावा एवं स्थगन प्रार्थनापत्र में साथ-साथ तारीख-पेशी होनी चाहिये। स्थगन प्रार्थनापत्र में सुनवाई आज करवाना चाहता हूँ। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिवक्ता-प्रार्थी को सूचित करने के निर्देश के साथ आईन्दा तारीख-पेशी 26 दिसम्बर 2018 मुकर्रर की गयी। 26 दिसम्बर 2018 को अधिवक्ता-प्रार्थी के उपस्थित नहीं होने पर न्यायहित में एक अवसर और प्रदान करते हुए आईन्दा तारीख पेशी 2 जनवरी 2019 मुकर्रर की गयी, उक्त पेशी पर भी अधिवक्ता-प्रार्थी के नहीं आने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश प्रार्थी-अपीलाण्ट की सुनवाई के बिना ही पारित कर दिया गया। जिसके खिलाफ प्रार्थिनी-अपीलाण्ट द्वारा आलौच्य अपील पेश की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थनापत्र का जवाब पेश कर दिया गया था, ऐसी स्थिति में स्थगन प्रार्थनापत्र बाबत उभयपक्षकारान की बहस ही सुनी जानी चाहिये थी, कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिये था। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह कहते हुए पारित किया गया है कि अन्य लोगों को पक्षकार नहीं बनाया गया, उचित नहीं है, क्योंकि वाद केवल अपने हिस्से की घोषणा का है, जिसमें अन्य किसी को पक्षकार बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है। अंत में अधिवक्ता अपीलाण्ट ने कथन किया कि अगर मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजियात में से भू-भाग विशेष के बेचान/हस्तान्तरण पर पाबन्दी लगायी जाती है तो किसी के भी हितों पर कोई कुठाराघात नहीं होगा, इसके विपरीत ऐसा नहीं किया जाता है तो निश्चय ही मूल वाद में न्याय के अंतिम बिन्दु तक पहुँचने में कई पेचिदिगियाँ उत्पन्न हो जायेगी और पक्षकारान के मध्य अनावश्यक तौर पर नवीन वादकरण पैदा होंगे। साथ ही प्रार्थिनी-अपीलाण्ट को अपूरणीय क्षति एवं गम्भीर असुविधाओं का भी सामना करना पडेगा। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश 02 जनवरी 2019 अपास्त किया जावे और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09 जुलाई 2018 को पारित आदेश बहाल किया जावे। आज दिनांक 11 नवम्बर 2019 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने लिखित वहस भी पेश की, जिसकी प्रति अधिवक्ता-रेस्पो. को नहीं दी गयी। अतः उक्त लिखित वहस शामिल मिसल की गयी।

जवाव में अधिवक्ता-रेस्पो. का कथन है कि दिनांक 20 दिसम्वर 2018 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिवक्ता-प्रार्थी को सूचित करने के निर्देश के साथ आईन्दा तारीख-पेशी 26 दिसम्वर 2018 मुकर्रर की गयी। 26 दिसम्वर 2018 को अधिवक्ता-प्रार्थी के उपस्थित नहीं होने पर न्यायहित में एक अवसर और प्रदान करते हुए आईन्दा तारीख पेशी 2 जनवरी 2019 मुकर्रर की गयी, उक्त पेशी पर भी अधिवक्ता-प्रार्थी के नहीं आने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश प्रार्थी-अपीलाण्ट की सुनवाई के विना ही पारित कर दिया गया। स्थगन प्रार्थनापत्र का प्रतिपक्षी की ओर से जवाव पेश कर दिये जाने के वाद कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जावेगा, ऐसा कोई आज्ञापक प्रावधान नहीं है। स्थगन प्रार्थनापत्र प्रकरण में अंतरिम आदेश पारित किया जाना अथवा पारित नहीं किया जाना अधीनस्थ न्यायालय का स्वविवेकीय अधिकार होता है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में से प्रत्येक सहखातेदार को अपने हिस्से की भूमि वेचान करने का अधिकार होता है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त वहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। आलौच्य अपील पेश होने पर दिनांक 28 मार्च 2019 को अन्तरिम आदेश के संवंध

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

में सुनी गयी, एकपक्षीय वहस में अपीलाण्ट-प्रार्थिनी के पक्ष में इस आधार पर अंतरिम स्थगन आदेश जारी करने के इंकार कर दिया गया था कि मामले में अभी तक प्रकट हुए तथ्य प्रार्थिया द्वारा चाहे गये अनुतोष को प्रदान करने के लिए स्पष्ट और पर्याप्त नहीं है, शेष पक्षकारों को भी सुना जाना आवश्यक है मानते है ताकि मामले में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के विन्दुओं का निर्धारण किया जा सके। चूंकि अव सभी पक्षकारान पर सम्मनों की तामीलं हो चुकी है और जरिये अधिवक्ता अदालत हाजा के समक्ष उपस्थित हो चुके है और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली भी प्राप्त हो चुकी है। अतः अपील का गुणावगुण के आधार पर मामले में समुचित निर्णय पारित किया जा रहा है।

वादग्रस्त आराजियात में पक्षकारान के हितों एवं स्वत्वों का विनिश्चयन मूल वाद का गुणावगुण पर निर्णय किये जाने के समय ही किया जाना है, वर्तमान स्थगन प्रार्थनापत्र से संवंधित अपील के स्तर पर इस संवंध में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी इस संवंध में किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। आलौच्य अपील के स्तर पर प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के विन्दुओं वावत विचार करने पर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रार्थिनी-अपीलाण्ट की ओर से अपने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के साथ प्रस्तुत न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 203/2012 में पारित निर्णय दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

18 नवम्बर 2013 की प्रतिलिपि का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि आलौच्य प्रकरण में वादग्रस्त आराजियात से संबंधित उक्त प्रकरण में वादी संख्या एक बद्रीनारायण पुत्र जयराम है, और आलौच्य प्रकरण में प्रार्थिनी-अपीलाण्ट बद्रीनारायण को अपना पिता बताती है, जिसका किसी ठोस आधार पर अब तक खण्डन भी नहीं किया गया है। इससे वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थिनी-अपीलाण्ट का हक़-हिस्सा होना प्रथम दृष्टया पाया जाता है।

अदालत हाजा अधिवक्ता-रेस्पो. के इस कथन से सहमत है कि संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार अपने हिस्से की भूमि का बेचान करने के लिए स्वतन्त्र होता है। मगर मात्र हिस्से का बेचान करने के लिए ही स्वतन्त्र होता है, ***राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानानुसार कोई भी सहखातेदार संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि में विधिवत बंटवारा कराये बिना किसी भू-भाग विशेष का बेचान करने हेतु सक्षम नहीं है।*** इस संबंध में अधिवक्ता अपीलाण्ट का यह कथन व्यावहारिक एवं उचित है कि अगर मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजियात में से भू-भाग विशेष के बेचान/हस्तान्तरण पर पाबन्दी लगायी जाती है तो किसी के भी हितों पर कोई कुठाराघात नहीं होगा, इसके विपरीत ऐसा नहीं किया जाता है तो निश्चय ही मूल वाद में न्याय के अंतिम बिन्दु तक पहुँचने में कई पेचिदिगियाँ उत्पन्न हो जायेगी और पक्षकारान के मध्य अनावश्यक तौर पर नवीन वादकरण पैदा होंगे। साथ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

ही प्रार्थिनी-अपीलाण्ट को अपूरणीय क्षति एवं गम्भीर असुविधाओं का भी सामना करना पडेगा।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02 जनवरी 2019 अपास्त किया जाता है तथा प्रस्तुत अपील में अंकित उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई व्यादेश पाबंन्द किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में मूल स्थगन प्रार्थनापत्र के अन्तिम रूप से निस्तारण तक वादग्रस्त आराजियात के किसी भू-भाग विशेष का अपने-अपने हिस्सो की सीमा में रहते हुए बेचान अथवा अन्य क़िसी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यांयालय में सुनाया गया।

11/11/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर